भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2516

जिसका उत्तर 13.03.2025 को दिया जाना है

हिट एंड रन मोटर वाहन दुर्घटना योजना, 2022 के अंतर्गत पीड़ितों को मुआवजा

2516. श्री भारत सिंह कुशवाह:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा हिट एंड रन मोटर वाहन दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा योजना, 2022 लागू की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मामले की स्वीकृति के बाद उसे भुगतान के लिए जनरल इंश्योरेंस काउंसिल, मुंबई को भेजना पड़ता है जिसके कारण राहत राशि के भुगतान में देरी और कठिनाई होती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मध्य प्रदेश में इस योजना के तहत अब तक कितने मामलों में राहत राशि वितरित की गई है; और

(घ) क्या सरकार का राहत राशि स्वीकृत करने और भुगतान करने की प्रक्रिया को सरल बनाने और राज्य स्तर पर एजेंसी कार्यालय स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) जी, हां। सरकार ने सा.का.नि. (जी.एस.आर.)163(इ) दिनांक 25 फरवरी, 2022 के तहत हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के पीड़ितों के लिए मुआवजा योजना, 2022 अधिसूचित की है, ताकि हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप व्यक्तियों की मृत्यु या उन्हें गंभीर चोट लगने पर मुआवजा प्रदान किया जा सके। यह योजना 1 अप्रैल, 2022 से लागू की जा रही है। योजना के अनुसार, मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपये की एक निश्चित राशि प्रदान की जानी है, और गंभीर चोट के मामले में 50,000 रुपये की एक निश्चित राशि प्रदान की जानी है।

(ख) इस योजना के अनुसार, आवेदक को उस उप-मंडल या तालुका के दावा जांच अधिकारी को निर्धारित दस्तावेजों के साथ मुआवजे की मांग करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा जहां पर दुर्घटना हुई थी। दावा जांच अधिकारी को दावा प्राप्त होने के एक माह के भीतर अपना निर्णय बताना आवश्यक है, जिसके बाद दावा निपटान अधिकारी को दावों को स्वीकृत करने तथा स्वीकृति आदेश को जनरल इंश्योरेंस काउंसिल को अग्रेषित करने के लिए पंद्रह दिन का समय दिया जाता है। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर दावेदार द्वारा बताए गए बैंक खाते में ई-भुगतान करेगी।

(ग) मध्य प्रदेश राज्य में आवेदकों को मुआवजा राशि वितरित किए जाने वाले मामलों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष)	**मृत्यु मामलों की संख्या**	**गंभीर चोट के मामलों की संख्या**
2022-23	0	0
2023-24	21	13
वित्तीय वर्ष 2024-25 (फरवरी, 2025 तक)	77	36
कुल	98	49

(घ) जी, नहीं । वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि, मुआवजा राशि का भुगतान संबंधित जिला प्रशासन द्वारा स्वीकृत किया जाता है और भुगतान सामान्य बीमा परिषद द्वारा जारी किया जाएगा।

*****